



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 517 राँची, मंगलवार,

6 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 जुलाई, 2024

संख्या-4/स्था0पद0-02-13/2014 का.- 4671--देवघर श्रावणी मेला, 2024 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ एवं अपराध नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित प्रशिक्षु उप समाहर्ताओं को देवघर जिला में दिनांक 18.07.2024 से 19.08.2024 तक श्रावणी मेला के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
I	II	III	IV
1.	श्री राजेश कुमार	भागलपुर, बिहार	पूर्वी सिंहभूम
2.	श्री मनोज कुमार गोप	गुमला	सिमडेगा
3.	श्री मुकेश कुमार	गिरिडीह	बोकारो
4.	श्री ओम प्रियदर्शी गुप्ता	धनबाद	जामताड़ा
5.	श्री संजय कुमार शुक्ला	मुंगेर, बिहार	साहेबगंज
6.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	गुमला	लोहरदगा
7.	श्री कांचन मुखर्जी	राँची	खूँटी
8.	श्री ललीत नारायण तिवारी	रामगढ़	कोडरमा
9.	श्री संजय कुमार	पूर्वी चम्पारण, बिहार	खूँटी
10.	श्री अनुरंजन झा	भागलपुर, बिहार	लोहरदगा
11.	श्री लक्ष्मण यादव	गिरिडीह	धनबाद
12.	श्री कमलेश कुमार दास	गिरिडीह	जामताड़ा
13.	मो० हु सैन	रामगढ़	कोडरमा
14.	श्री रविनन्दन उराँव	गुमला	राँची
15.	श्री श्रवण कुमार भगत	गोड्डा	बोकारो
16.	श्री विजय उराँव	लोहरदगा	गुमला
17.	श्री मुरारी नायक	बोकारो	धनबाद
18.	श्री मनोज कुमार रवि	हजारीबाग	रामगढ़
19.	श्रीमती अम्बिका कुमारी	लोहरदगा	खूँटी
20.	श्री विजय रंजन तिर्की	राँची	लोहरदगा
21.	श्री खोपलाल राम	हजारीबाग	गिरिडीह
22.	श्री विजय राम	पलामू	गढ़वा
23.	श्री देवलाल करमाली	रामगढ़	राँची
24.	श्रीमती जया कुमारी	लोहरदगा	खूँटी
25.	श्री दीपक कुमार मिश्रा	खगड़िया, बिहार	पलामू
26.	श्री नैमन कुजूर	लोहरदगा	लातेहार
27.	श्रीमती विजय लक्ष्मी सिं कु	पश्चिमी सिंहभूम	सरायकेला-खरसावां
28.	श्री सोमनाथ उराँव	राँची	गुमला

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, देवघर द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने प्रशिक्षण के जिले में योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
